

संख्या 3-216/सी.जी.एस./एल.के.ओ/2022/128-38

भारत सरकार
कार्यालय अपर महानिदेशक
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
बी115-114-, विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ.226010

दिनांक: 21.04.2026

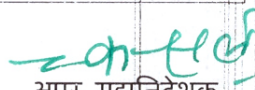
कार्यालय ज्ञापन

विषय: के.स.स्वा.यो लखनऊ के अंतर्गत निजी अस्पतालों/स्वास्थ्य संगठनों के सम्बद्धीकरण विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No.5-16/CGHS(HQ)/HEC/2024 (Part-I) दिनांक 03.10.2025 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No.5-34/CGHS/HEC(HQ)/2025 दिनांक 22.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित नियम एवं शर्तें, लागू पैकेज दरों के अनुसार, निम्नलिखित स्वास्थ्य संगठन (HCO) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoA), CGHS लाभार्थियों हेतु अस्पताल नीति (Hospital Policy Document) तथा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दिनांक 17.04.2026 को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

अतः, निम्नवत Superspeciality Hospital को के.स.स्वा.यो लखनऊ के अंतर्गत दिनांक 20.04.2026 से अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए, CGHS द्वारा अनुमोदित एवं उपलब्ध सभी सुविधाओं को के.स.स्वा.यो द्वारा अधिसूचित दरों पर कवर करते हुए, सूचीबद्ध (Empanelled) किया जाता है।

क्रम संख्या:	स्वास्थ्य संगठन का नाम	प्रमाणन	टिप्पणी
I.	Max Superspeciality Hospital (A unit of Starlit Medical Centre Private Limited), I, Viraj Khand, Gomtinagar Lucknow, Uttar Pradesh-226010 Mob: 9810569238 Email: pkaushik@maxhealthcare.com	NA BH	Superspeciality Hospital


अपर महानिदेशक
के.स.स्वा.यो, लखनऊ

सेवा में
प्रोत्तिलिपि

उक्त स्वास्थ्य संगठन

1. केन्द्र सरकार, कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, सीजीएचएस, निर्माण भवन, एमओएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली।
3. अतिरिक्त डी.डी.जी. (मुख्यालय), सीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. सीजीएचएस-11 अनुभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. हॉस्पिटल सेल, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, एलएचएमसीएस, नई दिल्ली।
7. सीजीएचएस औषधालय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सीजीएचएस पोलिक्लिनिक, लखनऊ, सीजीएचएस डब्ल्यूसी आगरा, बरेली गोरखपुर।
8. अखिल भारतीय सीजीएचएस कर्मचारी संघ, लखनऊ शाखा।
9. वरिष्ठ प्रौद्योगिकी निदेशक, एनआईसी एमओएचएफडब्ल्यू, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
10. एनएचए, दिल्ली।